

प्रारूप 2
[नियम 55 (1) देखिए]

मोटर यान के स्वामित्व के अन्तरण की सूचना (दो प्रतियों में किया जाएगा और दूसरी प्रति रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के पृष्ठांकन सहित रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और प्रारूप 24 में स्वामित्व के अन्तरण की प्रविष्टियाँ करने पर उसी समय अन्तरक को वापस की जाए।

सेवा में,

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी जिसकी अधिकारिता में अंतरिती निवास करता है।

मैं/हम (नाम) ने, जो का/कि निवासी
हैं/है आज वर्ष की तारीख को अपना यान संख्यांक
..... श्री/श्रीमती (नाम)..... को, जो
का/की पुत्री/पत्नी/पुत्र है और (मकान सं०/गली/ग्राम/कस्बा/जिला और
राज्य) में निवास करता/करती है।

अवक्रय/पट्टा/अडमान करार के अधीन श्री/श्रीमती को बेच दिया है और
उसका उसे परिदान कर दिया है। रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र और बीमा प्रमाण-पत्र उसको/सौंप दिया है।

मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार यान किसी सुपुर्दगी में नहीं है। यान सभी विलंगमो से मुक्त है और दी
गई सूचना सत्य है।

मैं/हम सूचना में की गलती, या छिपाए जाने के लिए स्वयं को उत्तरदायी ठहराने का वचन देता हूँ/देते हैं।

वित्तपोशक के हस्ताक्षर (वह अपनी सहमति दे)
.....

रजिस्ट्रीकृत स्वामी (अंतरक)
हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान
.....

तारीख

तारीख

मैं/हम (अंतरिती) प्रतिलिपि: रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
..... (जिसकी अधिकारिता में अंतरक निवास करता है)

टिप्पणी: दोनो रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी को रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजा जाए।

कार्यालय पृष्ठांकन

संदर्भ सं० का कार्यालय यान
का स्वामित्व के नाम उपरोक्त करार टिप्पण के साथ तारीख
से अन्तरित कर दिया गया है।

तारीख

रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालय मुद्रा के साथ
.....

* जो लागू न हो उसे काट दें।